



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1178/2015..... जिलाबीकानेर.....

उनवान : मैसर्स आर.के.कंसट्रक्शन एण्ड अर्थमूवर्स बीकानेर बनाम (1) अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर बीकानेर (2) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-द्वितीय, वृत्त-बी, बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/08/2015	<p align="center"><u>खण्डपीठ</u> श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील मय स्थगन प्रार्थना-पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या कमांक अ.प्रा./बीका./स्थगन/15-16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 सपठित नियम 25 ऑफ आरवैट रूल्स 2006 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) व 100 के तहत पारित किये गये स्थगनादेश दिनांक 04.06.2015 के विरुद्ध वैट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।</p> <p>स्थगन प्रार्थना-पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री वी.के. पारीक ने कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश का विरोध करते हुए स्थगन प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्क के समर्थन में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित (2013) 58 वी.एस.टी. पेज 530 सोभा सरिया इंजीनियरिंग कॉलेज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, करावंचन जोन-प्रथम, जयपुर न्यायिक दृष्टांत पेश किया।</p> <p>विभागीय प्रतिनिधि विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।</p> <p>उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों तथा अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए मांग राशि की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।</p> <p align="center">निर्णय सुनाया गया।</p> <p align="center"> सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	<p align="center"> अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>